

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 406

दिनांक :- 31.5.2022

मुकदमा नंबर 106/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बरकत पुत्र लादू खां</li> <li>2. कादर खां पुत्र लादू खां</li> <li>3. सुभान खां पुत्र लादू खां</li> <li>4. सरीफो बानो पत्नी मीरे खां जाति सिपाईसभी निवासीयान खनोडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।</li> <li>5. ग्राम पंचायत खनोडा जरीये सरपंच ग्राम पंचायत खनोडा</li> <li>6. हयात खां पुत्र श्री जले खां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुरो खां पुत्र फरीद खां</li> <li>2. सोडे खां पुत्र फरीद खां</li> <li>3. सादी खां पुत्र भवरे खां जाति मुसलमान सभी निवासीयान रमजान नगर खनोडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</li> <li>4. मले खा पुत्र अलादीन खां</li> <li>5. जले खां पुत्र अलादीन खां नि0 भीमसागर खनोडा तहसील पचपदरा ।</li> <li>6. किनी खां पुत्र जामीन खां</li> <li>7. बच्चू खां पुत्र मले खां जाति मुसलमान निवासी खनोडा</li> <li>8. लाले खां पुत्र देहल खां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा चारगान तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।</li> <li>9. राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।</li> </ol>



आदेश

दिनांक :- 31.5.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खनोडा पटवारी क्षेत्र खनोडा भू-निरीक्षक बड़नावा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 394/8 रकबा 36-11 बीघा, खसरा संख्या 392/8 रकबा 53-01 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
(SDO) बालोतरा  
दिनांक :- 31.5.22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 407

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
(SDO) बालोतरा